अभिनिर्णय सार

1- वाद संख्या- 30
2- जिला- गोरखपुर, तहसील सदर, परगना- हवेली, तप्पा- [illegible], ग्राम- [illegible]
3- अर्जन का उद्देश्य- विकास प्राधिकरण द्वारा राजकीय नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत प्लाट/भवन के निर्माण हेतु।

4- अर्जित का क्षेत्रफल- 47-253 ऐ० में 36.3915 एकड़

5- अर्जित विभाग का नाम- सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

6- धारा 4(1) का दिनांक- जारी का दिनांक		2-1-88
	राजकीय गजट का दिनांक	23-4-88
	दैनिक राष्ट्रदूत	4-1-88
	भारतीय आवाज	1-6-88
	सार्वजनिक सूचना	20-7-88
7- धारा 6 का दिनांक	जारी का दिनांक	20-4-89
	राजकीय गजट	20-4-89
	राष्ट्रदूत	22-4-89
	भारतीय आवाज	25-4-89
	सार्वजनिक सूचना	31-5-89

73

8- क्या भूमि जमींदारी विनाश [illegible] - हाँ
9- क्या धारा 17(1) लागू है- नहीं
10- भूमि पर कब्जा का दिनांक 21-6-91
11- अभिनिर्णय घोषित करने की तिथि 30-5-91
12- निर्धारित प्रतिकर जो देय है-

अ- कृषक दर में	शून्य
ब- अन्य दर में	रु023,71,202-18 पैसा
स- फसल	शून्य
द- बाग	रु0 51,667-00
य- वृक्ष-	रु0 3,20,855-16
र- कूप एवं बोरिंग	रु0 32,200-00
ल- भवन	रु0 6,44,455-00
व- 30% सोलेशियम	रु010,26,119-80
श- 12% अतिरिक्त धनराशि	रु011,73,881-05
	योग- रु056,20,400-19 पैसा

13- सूद यदि देय हो -शून्य
14- भूमि अर्जन व्यय- रु0 5,62,040-02 पैसा
15- पूंजीकृत मूल्य 15,491-20

अभिनिर्णय घोषित करने के अन्य महत्वपूर्ण विवरण-

==

ह० वाद सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] प्रस्तुत [illegible] पत्र पर [illegible] किया गया [illegible] के [illegible] गोरखपुर [illegible] किया गोरखपुर में [illegible] भवन [illegible] योजना के [illegible] के निर्माण हेतु [illegible] [illegible] भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत [illegible] अध्याप्ति निकाय द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर [illegible] [illegible] पर [illegible] गाटा 770मि/0.02, 787/0-54, 737/0-40 [illegible] 811/0-58 योग 1-56 एकड़ भूमि [illegible] एवं देय स्थान होने के कारण [illegible] की कार्यवाही से [illegible] किया गया। शेष 40-28 एकड़ भूमि अर्जन हेतु [illegible] कर भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत [illegible] संख्या 21/आर०-1187-89 [illegible] दिनांक 2-1-8[illegible] जारी [illegible]। [illegible] अधिसूचना को [illegible] गजट में प्रकाशन हेतु अधीक्षक राजकीय मुद्रण [illegible] अधिसूचना को [illegible] इलाहाबाद को प्रकाशन हेतु भेजा गया। इसके प्रकाशन हेतु दो [illegible] समाचार पत्र के सम्पादक को भेजा गया राष्ट्रीय [illegible] स्थानीय समाचार पत्र [illegible] दिनांक 4-1-88 व 1-6-88 को प्रकाशित हुआ। [illegible] राजकीय गजट में इस का प्रकाशन दिनांक 23-4-88 के भाग-1 पृष्ठ संख्या 1172-73 पर हुआ। इसके अतिरिक्त [illegible] भू स्वामियों को नोटिस नमूना 11क। दफा 415 [illegible] मैनुअल [illegible] दफा 4 तामील कराया गया। जो [illegible] में संलग्न है। उक्त अधिसूचना का [illegible] में [illegible] दिनांक 20-7-88 को कराई गयी।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4(1) की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात तथा धारा 6(1) की विज्ञप्ति के [illegible] प्रस्ताव के अनुसार [illegible] नं० 727, [illegible] कि अध्याप्ति निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार [illegible] 733, 765, 923, का प्रकाशन धारा 4(1) के विज्ञप्ति में [illegible] हुआ है। [illegible] का प्रकाशन कराया जाना आवश्यक है। [illegible] 10-4-89 से जारी किया गया। उक्त सभी [illegible] में [illegible] के मुद्रण हेतु अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद को लिखा गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत [illegible] नोटिस [illegible] पर [illegible] भू स्वामियों द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी है। [illegible] 1- मोहन सिंह 2- सिरेन्द्र सिंह 3- [illegible] 4- [illegible] 5- [illegible] 6- [illegible] 7- रमाशंकर 8- [illegible] पाण्डे 9- [illegible] 10- [illegible] 11- [illegible] आदि 12- [illegible] 13- [illegible] आदि 14- [illegible] आदि 15- [illegible] आदि 16- [illegible] आदि 17- [illegible] देवी 18- [illegible] देवी 19- [illegible] प्रसाद 20- प्रदीप कुमार 21- [illegible] सिंह 22- [illegible] 23- [illegible] नाथ 24- [illegible] 25- राम [illegible] आदि 26- [illegible] आदि 27- परशुराम आदि 28- [illegible] देवी 29- [illegible] आदि 30- [illegible] आदि 31- रामसुख आदि 32- [illegible] आदि 33- [illegible] 34 राम [illegible] 35- [illegible] 36 - [illegible] 37- [illegible] 38- [illegible] [illegible] आपत्तियाँ [illegible] कर [illegible] किया है कि [illegible] भूमि [illegible] कार्यवाही से [illegible] किया जाय।

उपर्युक्त सभी आपत्तियों पर दिनांक 15-4-89 [illegible] एवं अध्याप्ति निकाय [illegible] स्थल पर [illegible] किया गया। [illegible] 747/[illegible]-37, [illegible] [illegible] 931मि/[illegible]-46 [illegible] [illegible]16मि/[illegible]-61, 926मि/0-25 [illegible]

समन्वयक मुकदमियों के [illegible] मकान [illegible] आदि निर्मित [illegible] उन्हें अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त होना चाहिए। [illegible] मैं [illegible] जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी जिन्होंने अपना अनुमोदन दिया है।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4(1) की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 6(1) सह 16 की विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र 33/भू०अ० दिनांक 14-4-89 को कुल 47-233 एकड़ भूमि के अर्जन की विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु शासन के नगर विकास अनुभाग-5 को लिखा गया। शासन के नगर विकास अनुभाग-5 ने अपने विज्ञप्ति संख्या 1905/11-5-8-300[illegible]-89 लखनऊ दिनांक 20-4-89 को जारी किया है, जो सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) के क्रमांक 706 दिनांक 20-4-89 को प्रकाशित हुआ। इसका भी प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र में कराया गया है। सम्पादक दैनिक राष्ट्र चिन्ह ने दिनांक 22-4-89 तथा मशरकी आवाज दिनांक 25-4-89 को प्रकाशित किया है। विज्ञप्ति के [illegible] की सार्वजनिक सूचना दिनांक 31-5-89 को अर्जनाधीन ग्राम में [illegible] करवा कर डुग्गी मुनादी भी करवायी गयी। इसके अतिरिक्त समस्त भू स्वामियों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी जो तामील होकर संलग्न पत्रावली है।

तत्पश्चात श्रीमती बिन्दु देवी ने प्रार्थना पत्र देकर यह अनुरोध किया है कि आराजी नं० 763/2-04, 763/2-22, 777/0-04 में से 1/10 भाग पर से किशोरी का नाम खारिज करके उसका नाम दर्ज किया जाय तथा उसे प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जाय। 2- श्रीमती सरस्वती देवी व ज्ञानमती देवी ने अपने आराजी नं० 936मि/0-18 पर अपना मकान बनवा लिया है तथा अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के लिए प्रार्थना की है। 3- श्री सीता राम आदि, श्री निवास आदि श्री [illegible] आदि ने भी अपने आराजी को अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। इसके अतिरिक्त श्रीमती राजकुमारी, श्रीमती [illegible], श्रीमती सुदामा, जवाहर लाल, श्री प्रकाश, राम प्रीत, पूर्णमासी, श्री चन्द्र सैनी, श्री लक्ष्मी आदि, ओमकार आदि, अर्जुन आदि, राम लखन आदि, जमुना आदि, श्रीमती दमयन्ती, लक्ष्मन, दुलारी, राम अवतार आदि, शारदा देवी, [illegible] लाल, कुंवर, प्रमोद कुमार, श्रीमती उमा देवी, [illegible] आदि, [illegible] आदि, [illegible] हुसैन, [illegible] नाथ राकेश कुमार आदि राम प्रसाद आदि, राम दरस आदि, मोती लाल, जय प्रकाश [illegible], बिशुनी आदि [illegible] आदि, राम पियारे आदि, राम [illegible] आदि, परशुराम आदि, भगवान दास आदि, श्री [illegible] दास [illegible] आदि, श्री [illegible] प्रदीप तथा श्री राम सहकारी आवास समिति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर के अपने भूमि को अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त करने हेतु प्रार्थना की है। श्री राम [illegible] व पूर्णमासी आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके प्रतिकर की धनराशि 15/- [illegible] की मांग की है। श्री [illegible] लाल, कुंवर, [illegible] आदि [illegible] [illegible] आदि [illegible] हुसैन आदि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके [illegible] है कि [illegible] उनकी भूमि अर्जन से अवमुक्त न की जाय तो उनके भूमि का [illegible] 25/- [illegible] दिया जाय। इसके अतिरिक्त श्री निवास [illegible] आदि ने जिलाधिकारी तथा श्रीमती चन्द्रावती देवी आदि ने माननीय [illegible] को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भूमि को अवमुक्त करने की प्रार्थना [illegible] दोनों प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मेरे [illegible] ने [illegible] में स्थल का निरीक्षण [illegible] निरीक्षण [illegible]

[illegible] 926मि/1-02, 79[illegible]/-01, 936[illegible]/-18,

805मि./0-50, 761मि./0-51, 777मि./0-03नाम 2-25एकड़ पर मकान बना हुआ है तथा भू स्वामी उसमें निवास कर रहे हैं। इस संबन्ध में अपर जिला अधिकारी तथा आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को दी गयी और भूमि को अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त कर दिया गया।

अध्यापित निकाय ने अपने विभिन्न पत्रों द्वारा यह अवगत कराया है कि आर.नं.917मि./0-07, 737मि./0-16, 933मि./0-02, 907मि./0-2965 915/0-76, 785मि./0-23, 789मि./0-20781मि./0-26, 737मि./0-65, 757/0-42, 783/0-69, 785मि./0-065, 789मि./0-38, 807/0-04, 795/0-74 796/0-55, 805/0-40, 793/0-19, 801/0-03, 802/0-64, 803/0-89, योग 8-4715एकड़ भूमि को अर्जन से मुक्त कर दिया जाय। यदि अध्यापित निकाय उक्त भूमि को नहीं लेना चाहता है अतः इस भूमि को अर्जन की कार्यवाही से अवमुक्त किया जाता है। आर.नं.800रकबा0-35एकड़ दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख में 0-25एकड़ ही है तथा आर.नं.784मि./0-02नाली ग्राम समाज है इस प्रकार 0-12एकड़ के सम्बन्ध में प्रतिकर सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की गयी है।

प्रस्तावित भूमि 49-82एकड़ में से मात्र 36-3915एकड़ भूमि शेष है जिसका प्रतिकर निर्धारित किया जाना है। प्रतिकर निर्धारित किये जाने हेतु धारा 4(1)के विज्ञप्ति के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर के सभी बैनामों का रजिस्ट्रार कार्यालय गोरखपुर से नोट कराए गये जो परिशिष्ट 2पर अंकित हैं। निर्धारित अवधि में कुल 68बैनामें पाये गये उन्हीं निष्पादित बैनामों में से ही ~~प्रतिकर~~ अर्जित भूमि हेतु दर प्रतिएकड़ निर्धारित किया जाना है। सम्बन्धित भू स्वामियों द्वारा अपने आपत्ति के समर्थन में कोई बैनामे के दस्तावेज की प्रति अथवा ऐसा साक्ष्य जो बाजार भाव को प्रदर्शित करता हो न होने के कारण परिशिष्ट-1शून्य है।

अर्जित की जा रही भूमि का स्थल एवं भू अभिलेखों से जांच किया गया परिशिष्ट-2पर अंकित बैनामा सं.5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, एवं 67पर अंकित विक्रय पत्रों वाली भूमि अध्यापित की गयी भूमि से दूर स्थित है तथा कम क्षेत्रफल का विक्रय है। कम क्षेत्रफल एवं दूर होने के कारण इसे निरस्त किया जाता है। बैनामा सं.2, 3, 4, 8, 12, 26, 32, 35, 36एवं 49पर अंकित बैनामों वाली भूमि अर्जित की जा रही भूमि का भू भाग है यह सभी बैनामे आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय किये गये हैं, इस प्रकार उक्त बैनामें प्रतिनिधि स्वरूप नहीं हैं। सभी बैनामें कम क्षेत्रफल के हैं तथा आबादी के सटे हैं यह सभी बैनामे आवासीय [illegible] किये जा सकते निरस्त करने योग्य हैं और निरस्त किये जाते हैं। अब मात्र बैनामा सं.1, 11, 65, शेष है जिस पर विचार किया जाना है। क्रमांक 11पर अंकित बैनामा आर.नं.503क रकबा0-2475एकड़ रु.14,000-00में विक्रेता ने बेचा है इसका दर प्रतिएकड़ रु.56,565-00पैसा आता है बैनामा सं.65 क्रेता ने विक्रेता से आर.नं.503की 0-2475एकड़ रु.12,[illegible]00-00में क्रय किया है जिसका दर प्रति एकड़ 4?,404-85पैसा आता है क्रमांक 11व 65पर अंकित बैनामा एक ही भू भाग का है जिसे एक ही विक्रेता ने अलग-अलग दर पर विक्रय किया है। जो अर्जित भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अतः बैनामा सं.11 [illegible] निरस्त किया जाता है। ~~xx~~ अब मात्र बैनामा सं.1शेष बचता है बैनामा सं.1 [illegible] को विक्रेता ने आर.नं.392के रकबा 0-68एकड़ को 1/3भाग रु.15,[illegible] विक्रय किया है इसका दर प्रतिएकड़ रु.66,176-47आता है परिशिष्ट-2पर अंकित सभी बैनामों को देखने से ज्ञात होता है कि बैनामा सं.1का विक्रय [illegible] सबसे अधिक का है और अर्जित की जा रही भूमि भी अधिक [illegible] की है.---

(233)

--इसलिए बैनामा सं. एक को ही प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधि नमूना चयन किया जाना अधिक उपयुक्त होगा । अतः बैनामा सं. एक जिसका विक्रय दर प्रतिएकड़ 66,173-47है प्रतिनिधि नमूना स्वीकार किया जाता है। यह दर अर्जित की जा रही भूमि पर समान रूप से लागू रहेगी क्योंकि अर्जित की जा रही भूमि एक ही किस्म यानि समतल है। चयनित भू भाग अर्जित की जा रही भू भाग के समान गुण-दोष की भूमि है।

प्रश्नगत भूमि में से 0-56एकड़ भूमि बाग है जिसका आ.नं.764 है जिसमें अमरूद के 430पेड़ स्थित हैं जिसका मूल्यांकन भूमि के मूल्यांकन से अधिक है इस लिए इसे बाग भूमि मानकर प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अधिशासी राजकीय उद्यान विभाग द्वारा पेड़ों का मूल्यांकन रु.51,687-00पैसा निर्धारित किया गया है। जिसे प्रतिकर स्वरूप सम्बन्धित भू स्वामी को दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

अब मात्र 35-8315एकड़ भूमि शेष रहता है जिसका प्रतिकर चयनित दर से दिया जाना है। चयनित दर के आधार पर उक्त भूमि का प्रतिकर रु.23,71,202-18आता है इस पर स्थित सम्पत्तियों का मूल्यांकन सम्बन्धित विभाग से करवाया गया है। विभाग द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन वृक्ष का रु. — 3,20,855-16, कूप एवं बोरिंग का मूल्यांकन रु.32,200-00तथा अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित भवन का मूल्यांकन 6,44,455-00पैसा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि पर 30%सोलेशियम रु.-- 10,26,119-80पैसा आता है। इस प्रकार कुल प्रतिकर मय सोलेशियम रु.- 44,46,519-14पैसा गुणगणित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिकर की कुल धनराशि पर 12%अतिरिक्त धनराशि धारा4(1)के अन्तिम प्रकाशन की तिथि दिनांक 20-7-89से अभिनिर्णय की तिथि 30-5-91तक देय है जो गणना करने पर रु.11,73,881-05पैसा आता है।

अतः मैं ग्राम लच्छीपुर, टप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर जिला-गोरखपुर में शास्त्री नगर आवासीय योजना हेतु अर्जित 36-3915एकड़ भूमि एवं उसपर स्थित सम्पत्तियों का प्रतिकर, प्रतिफल एवं 12%अतिरिक्त धनराशि रु 56,20,400-19पैसा घोषित करता हूँ । इस अर्जन के फलस्वरूप ग्राम के वार्षिक राजस्व में रु.387-28पैसा की कमी की जायेगी एवं पूंजीकृत मूल्य के रूप में 15,491-20पैसा अर्जनकारी निकाय से वसूल कर राजकीय कोष में जमा किया जायेगा । एवं नियमानुसार 10%अधिष्ठापन व्यय रु.5,62,040-02पैसा अर्जनकारी निकाय से प्राप्त करके उचित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा

यह अन्तिम अभिनिर्णय आज दिनांक 30-5-91को घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया ।

स्थान-कार्यालय ।
दिनांक - 30-5-91

Sd

(सूर्य प्रकाश लाल)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (आ.सं.)
द्वितीय, गोरखपुर।

Attested
A.K.P.
30/5/91

1236

231

<u>अधिकार-पत्र</u>

स्थाई भूमि प्राप्त	ग्राम-लच्छीपुर, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में शास्त्रीनगर आवासीय योजना हेतु 36-3915एकड़ भूमि पर कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।
शासकीय पत्र संख्या	1905/11-5-89-30एल.ए./89लखनऊ उ.प्र. सरकार, नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 20-4-89के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि निम्नलिखित भूमि जिसका क्षेत्रफल36-3915 एकड़ है और जिसका अधिकार आज मैंने प्राप्त किया है। उस पर स्थित सम्पत्तियों के साथ जो ग्राम लच्छीपुर, तप्पा-कस्बा, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में स्थित है को सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, को आज दिनांक 21-6-91 को कब्जा हस्तान्तरित कर दिया

<u>अतिआवश्यक</u>

देश मे खाद्यान्न की स्थिति को देखते हुए खड़ी फसलो को कब्जा लेते समय क्षति न पहुंचाई जाय। उन्हें काश्तकारान को पकने पर काटने दिया जाय जिसने बोया हो यदि किसी विशेष स्थित में ऐसा करना सम्भव न हो और यह खड़ी फसल कब्जा लेना तत्काल आवश्यक हो तो कब्जा लेना वाला विभाग फसल की पूरी कीमत फसल के मालिक को अदा कर दें।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं.सं.)
द्वितीय, गोरखपुर।

निम्नलिखित भूमि का अधिकार पाया। इस की हदबन्दी मेरे सामने हुई है और सरहदे मुझे दिखायी गयी हैं। पैमाईश के अनुसार निम्नलिखित भूमि का क्षेत्रफल जोड़ने से 36-3915एकड़ आता है। सूची संलग्न है।

20
3.7.91

2/7/91
तहसीलदार, सदर
गोरखपुर

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर।

2

(230)

ग्राम- लछीपुर, परगना-हवेली, [illegible]वा, जनपद-गोरखपुर (तहसील-सदर)

प्लाट नं.	रकबा	प्लाट नं.	रकबा
727 मि. (पू. 1)	0-30	923	0-44
728	0-15	924	0-32
729	0-21	925	0-44
730	0-15	927	0-53
731	2-24	928	0-49
732	0-30	929	0-72
733 मि. (पू. 1)	0-265	930	0-03
734	0-40	931 मि. (पू. 1)	0-304
735	0-66	932 मि.	0-73
736	0-45	933 मि.	0-20
738	0-54	934	0-32
739	0-55	935	0-26
740	0-21	936 मि.	0-18
741	0-13	937 मि.	0-285
759 मि.	0-09	938	0-40
762	1-38	939	0-21
763	4-26	940	0-29
764	0-56	941 मि.	0-10
765	1-25	योग	36-3915 एकड़
770 मि.	1-27		
771	0-75		
772	0-26		
773	0-16		
774	0-38		
775	0-40		
776	0-37		
777 मि.	0-23		
778	0-80		
784	0-12		
790	0-17		
791	0-31		
798 मि.	2-73		
800	0-23		
804 मि.	1-13		
820	0-54		
821	0-78		
822 मि. (उ. 1)	0-256		
823 मि. (उ. 1)	0-148		
824 मि.	0-01		
909 मि.	0-1235		
910	0-34		
912	0-31		
913	0-33		
914	0-33		
917 मि.	0-68		
918 मि.	0-87		
919 मि.	0-80		
920	0-39		
921	0-25		
922	0-50		

(सूर्य प्रकाश लाल)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, द्वितीय,
(सं. सं.) गोरखपुर।

संख्या—700

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 861
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टु पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अप्रैल, 1989

चैत्र 30, 1911 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग—5

संख्या—1905/11-5-89-30 एल0 ए0-89

लखनऊ, 20 अप्रैल, 1989

अधिसूचना

प0 आ0—617

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम सं0 1, 1894) की धारा—4 की उपधारा—(1) के अधीन गोरखपुर के कलेक्टर द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0 21/आठ-1 (87-88) भू0 अ0 अ0, दिनांक 2 जनवरी, 1988 को उत्तर प्रदेश गजट में दिनांक 23 अप्रैल, 1988 को प्रकाशित हुई, के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा—5—क के अन्तर्गत दी गयी आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा—6 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन अर्थात् जिला गोरखपुर के विकास हेतु सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों/प्लाटों, सड़क, पार्क आदि के निर्माण हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा—7 के अधीन गोरखपुर के कलक्टर को निर्देश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

टिप्पणी—हिन्दी अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ संलग्न है।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1905/XI-5—89-30LA-89, dated April 20, 1989 :

No. 1905/XI-5—89-30LA-89

Dated Lucknow, April 20, 1989.

IN continuation of notification no. 21/8-1(87-88)-SLO, dated 2-1-88 issued by the Collector, Gorakhpur under sub-section(i) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. I of 1894) published in U. P. Gazette dated 23-4-1988 the Governor, after considering the report made under section 5-A of the said Act is pleased to declare under sub-section (i) of the section 6 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose namely for Development of Gorakhpur under planned Development Scheme by Gorakhpur Development Authority for construction of residential quarters and plots and under section 7 of the said act to direct the Collector of Gorakhpur to take order for the acquisition of the said land :

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा सं0 Plot no.	लगभग क्षेत्रफल एकड़ में Approximate Area of the la[nd] (in Acres)
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	लच्छीपुर Lachhipur	727 मि0 (पू0)	0.30
			728	0.15
			729	0.21
			730	0.15
			731	2.24
			732	0.30
			733 मि0 (पू0)	0.269
			734	0.40
			735	0.66
			736	0.46
			737	0.81
			738	0.54
			739	0.55
			740	0.21
			741	0.13
			757 मि0	0.42
			759 मि0	0.09
			761 मि0	0.51
			762	1.38
			763	4.26
			764	0.56
			765	1.25
			770 मि0	1.27
			771	0.75
			772	0.26
			773	0.16
			774	0.38
			775	0.40
			776	0.37
			777	0.20
			778	0.80
			781 मि0	0.26
			783	0.69

Scanned with OKEN Scanner

1	2	3	4	5
गोरखपुर-(क्रमशः) Gorakhpur—(Contd.)	हवेली-(क्रमशः) Haveli—(Contd.)	लछीपुर-(क्रमशः) Lachhipur—(Contd.)	784	0.12
			785	1.095
			789	0.58
			790	0.17
			791	0.31
			793	0.19
			795	0.74
			796	0.55
			798 मि0	2.74
			800	0.33
			801	0.03
			802	0.64
			803 मि0	0.88
			804 मि0	1.13
			805	0.90
			807	0.04
			820	0.54
			821	0.78
			822 मि0 उत्तर	0.256
			823 मि0 उत्तर	0.148
			824 मि0	0.01
			909	0.42
			910	0.34
			912	0.31
			913	0.33
			914	0.33
			915	0.76
			917	0.75
			918 मि0	0.87
			919 मि0	0.80
			920	0.39
			921	0.25
			922	0.50
			923	0.44
			924	0.32
			925	0.44
			926 मि0 उ0 प0	1.02
			927	0.53
			928	0.49
			929	0.72
			930	0.03
			931 मि0 पू0	0.304
			932 मि0	0.73
			933 मि0	0.22
			934	0.32

1	2	3	4	5
गोरखपुर--(समाप्त) Gorakhpur--(Concld.)	हवेली--(समाप्त) Haveli--(Concld.)	लच्छीपुर--(समाप्त) Lachhipur--(Concld.)	935	0.36
			936	0.36
			937 मि0	0.285
			938	0.40
			939	0.21
			940	0.29
			941 मि0	0.10
			योग .. Total	47.233 एकड़ Acres

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:--गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट/भवन ई0 डब्लू0 एस0, एल0 आई0 जी0, एम0 आई0 जी0 के निर्माण हेतु आवश्यकता है।

For what purpose required--For construction of residential plots and quarters E.W.S., L.I.G., M.I.G. under planned development scheme in District Gorakhpur by the Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

टिप्पणी:--उक्त भूमि का नक्शा कलक्टर, गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE--A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Gorakhpur.

आज्ञा से,
एस0 डी0 बागला,
सचिव।

By order,
S. D. BAGLA,
Sachiv.

truction of Pump-House and Section Road of State Tube-well no. 449, Salempur Group in district Deoria.

2. Any person interested in the land, may, within thirty days after the issue of this notification make an objection to the acquisition of the land or of any land in the locality, as the case may be, in writing to the Collector/Deputy Land Acquisition Officer, Deoria, as required under section 5-A (1) of the said Act :

अनुसूची/Schedule

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा (प्लाट) संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल Approximate area
1	2	3	4	5
देवरिया Deoria	सलेमपुर-मझौली Selempur Majhouli.	नईकिस Naikiss		एकड़ Acres
			98	0.099
			634	0.020
			योग Total	0.119
		बारीडीहा Baridiba	120	0.051
		महायोग GRAND TOTAL		0.170

जिस कार्य के लिये आवश्यकता है— जिला देवरिया में नलकूप संख्या 449, सलेमपुर ग्रुप के पम्प हाउस एवं सेक्शन रोड के निर्माणार्थ ।

Public purpose required.—For construction of Pump House and Section Road of State Tube-well no. 449, Salempur Group in district Deoria.

टिप्पणी— उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देवरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

Note.—The plan of the land may be inspected in the Collector/Deputy Land Acquisition Officer, Deoria.

[illegible],
कलेक्टर
(भूमि [illegible]),
देवरिया ।

2 [illegible], 1988 ई०

[illegible] (87-88)-[illegible] [illegible] 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) [illegible] उपधारा (1) [illegible]

सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के ई० डब्लू० एस०, एल० आई० जी०, एम० आई० जी०, प्लाट/भवन [illegible] निर्माण हेतु आवश्यकता है ।

2—उक्त ऐक्ट की धारा 5-ए के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जिसका इस भूमि में कोई हित हो, इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर, इस भूमि अध्याप्ति के विरुद्ध कलेक्टर (भूमि अध्याप्ति के प्रयोजनार्थ), गोरखपुर को लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं ।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी हुई है :

January 2, 1988

No. 21/VIII—1(87-88)-L. A. O.—Under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), the Collector of Gorakhpur is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule is needed for a public purpose, namely for the construction of Plot/House, Parks and roads under Housing Scheme in Gorakhpur district by the Gorakhpur Development Authority, Gorakhpur.

2. Under section 5-A of the said Act, any person interested in the land may, within thirty days after the issue of this notification make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector (for Land Acquisition Purposes) Gorakhpur :

अनुसूची/Schedule

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	गाटा (प्लाट) संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल Approximate area
1	2	3	4	5
गोरखपुर Gorakhpur	हवेली Haveli	लच्छीपुर Lachipur		एकड़ Acres
			727	[illegible]
			728	0.60
			729	0.16
			730	[illegible]
			731	0.15
			732	[illegible]
			[illegible]	[illegible]

4	5
	एकड़ Acres
769	1.28
770M	1.27
771	0.75
772	0.20
773	0.18
774	0.88
775	0.40
776	0.87
777	0.26
778	0.80
781M	0.26
783	0.09
784	0.12
785	1.95
789	0.68
790	0.17
791	0.31
793	0.10
795	0.74
796	0.55
798M	2.74
800	0.35
801	0.03
802	0.04
803M	0.88
804M	1.13
805	0.00
807	0.04
820	0.54
821	0.78
822	0.38/5
823	0.30
824M	0.01
909	0.12
910	0.34
912	0.81
913	0.28
914	0.33
915	0.78
916M	0.01
917	0.75
918M	0.87
919M	0.80
920	0.80
921	0.25
922	0.60
923	0.40
924	0.72
925	0.44
926	1.27
927	0.83
928	0.40
929	0.72
930	0.03
931	0.35
932M	0.73
933	0.22
934	0.82
935	0.36
936	0.30
937	0.28/5
938	0.40
939	0.21
940	0.29
941M	0.10
योग Total	46.615

...ता है—जिला गोरखपुर में ... प्लाट/भवन के निर्माण हेतु ।

...cquisition of land for the ... and Road ... Housing ...

टिप्पणी—उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, गोरखपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

NOTE—A plan of the land may be inspected in the office of the Special Land Acquisition Officer/Collector, Gorakhpur.

पी० सी० श्रीवास्तव,
कलेक्टर
(भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ),
गोरखपुर ।

4 जनवरी, 1988 ई०

सं० 409/उप भू० अ० अ०–सुल्तानपुर—लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (ऐक्ट संख्या 1, 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची में दी हुई भूमि की सार्वजनिक कार्य के लिए आवश्यकता है ।

(2) कोई व्यक्ति जिसका उक्त भूमि में कोई हित हो, इस विज्ञप्ति के जारी होने के 21 दिन के भीतर उक्त भूमि या उसके आस-पास, किसी भूमि के प्राप्त करने के सम्बन्ध में, जैसी भी दशा हो, की उक्त ऐक्ट की धारा 5-क (1) के अधीन कलेक्टर अथवा उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सिंचाई विभाग, सुल्तानपुर के पास लिखकर आपत्ति कर सकता है ।

टिप्पणी—अधिसूचना में उल्लिखित अनुसूची अंग्रेजी अनुवाद के साथ नीचे दी हुई है :

January 4, 1988

No. 409/1-Dy.L.A.O.-Sultanpur.—In pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894), it is notified for general information that the land mentioned in the Schedule is needed for a public purpose, namely the land is permanently required for construction of Barsara Minor in district Sultanpur.

2. Any person interested in the land may within twenty-one days after the issue of this notification make an objection to the acquisition of land or of any land in the locality, as the case may be, in writing to the Collector, or Special/Deputy land Acquisition Officer, Irrigation Department, Sultanpur as required under section 5-A(1) of the Act:

अनुसूची/Schedule

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mouza	गाटा (प्लाट) संख्या Plot no.	लगभग क्षेत्रफल Approximate area
1	2	3	4	5
सुल्तानपुर Sultanpur	मीरानपुर Miranpur	नरायनपुर Narainpur		बी० बि० बि० B. B. B.
			120	0 9 6
			92	0 3 5
		योग Total		0 12 11 या or 0.391 एकड़ acres